

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक /मान्यता/अं0मा0 /17475-81 /2018-19

दिनांक 05 मार्च 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
मिल्टन पब्लिक स्कूल,
अवधपुरी, कलवारी-आगरा ।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 21.08.2018 के आवेदन-मिल्टन पब्लिक स्कूल, अवधपुरी कलवारी-आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करारगा ।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - 1- प्रवेश दिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
 - 2- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियाँ को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा-कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18- संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(आनन्द प्रकाश शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आगरा

पु0सं0 /मान्यता/अं0मा0 /17475-81 /2018-19

तद्दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नोक्त की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज-लखनऊ ।
 - 2-सावित्र, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
 - 3-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
 - 4-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।
 - 5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।
 - 6-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण/नगर) जनपद आगरा ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा

MANITON PUBLIC SCHOOL, AGRYA
MANAGER
PRINCIPAL